कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 261/2026 **प्रेस विज्ञप्ति** दिनांक- 07.07.2026

थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

☐ गम्भीरवन में बड़ी वारदात से पहले जहानागंज पुलिस की कार्रवाई, डकैती की योजना बना रहे 05 दुर्दान्त अभियुक्त गिरफ्तार

☐ 03 पिस्टल, 02 अवैध तमंचे, 09 कारतूस, कटर, पाइप हथौड़ी सहित डकैती में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में अपराध एवं डकैती की घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना जहानागंज पुलिस को बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा ग्राम गम्भीरवन स्थित कृष्णा कॉलेज के खण्डहर में डकैती की योजना बना रहे 05 दुर्दान्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से भारी मात्रा में अवैध असलहे एवं डकैती में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बरामद किए गए।

घटना का विवरण

दिनांक **06.07.2026** को उ0नि0 लवकुश सोनकर, उ0नि0 शिवम त्यागी एवं उ0नि0 गौरव सिंह मय हमराह क्षेत्र में चोरी, नकबजनी, डकैती की रोकथाम तथा वांछित अपराधियों की तलाश में भ्रमणशील थे। इसी दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति ग्राम गम्भीरवन स्थित कृष्णा कॉलेज के खण्डहर में एकत्र होकर डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने तत्काल घेराबंदी कर मौके से 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना जहानागंज पर **मु0अ0सं0 147/2026**, धारा **310(4), 310(5) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उन्हें माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभिषेक यादव पुत्र कमला यादव, निवासी ग्राम गेलवारा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
2. अजय यादव पुत्र दीनदयाल यादव, निवासी ग्राम जहानाबाद, थाना मधुबन, जनपद मऊ।
3. आशीष चौहान पुत्र श्रवण चौहान, निवासी ग्राम गेलवारा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़।
4. जयहिंद मौर्या पुत्र ललकार मौर्या, निवासी ग्राम मोहनाठ, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।
5. गोविंद यादव पुत्र विध्यांचल यादव, निवासी ग्राम मोहनाठ, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

- 03 अदद पिस्टल .32 बोर
- 06 अदद जिंदा कारतूस .32 बोर
- 02 अदद अवैध तमंचा .315 बोर
- 03 अदद जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 अदद कटर
- 01 अदद पाइप हथौड़ी
- 01 अदद लोहे की पाइप मय लोहे की चकरी लगी हुई

- 03 अदद मोबाइल फोन

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्तों ने स्वीकार किया कि वे ग्राम गम्भीरवन क्षेत्र में डकैती की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। पुलिस की सतर्कता एवं त्वरित कार्रवाई के चलते वारदात होने से पूर्व ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया तथा एक बड़ी आपराधिक घटना होने से रोक दी गई।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 147/2026, धारा **310(4), 310(5) बीएनएस एवं 3/25 आर्म्स एक्ट**, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास

1. अभिषेक यादव पुत्र कमला यादव निवासी ग्राम गेलवारा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

- मु0अ0सं0 147/2026, धारा 310(4), 310(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज।
- मु0अ0सं0 81/2026, धारा 115(2), 3(5), 351(3), 352 बीएनएस, थाना सिधारी।

2. आशीष चौहान पुत्र श्रवण चौहान निवासी ग्राम गेलवारा, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

- मु0अ0सं0 147/2026, धारा 310(4), 310(5) बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना जहानागंज।
- मु0अ0सं0 0479/2024, धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना सिधारी।
- मु0अ0सं0 0061/2025, धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना सिधारी।
- मु0अ0सं0 0150/2025, धारा 305, 317(2) बीएनएस, थाना सिधारी।
- मु0अ0सं0 0481/2025, धारा 305, 331(4) बीएनएस, थाना सिधारी।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

इस सफल कार्रवाई में उ0नि0 लवकुश सोनकर, उ0नि0 शिवम त्यागी, उ0नि0 गौरव सिंह, का0 श्रीप्रकाश, का0 प्रदीप यादव, का0 अभिषेक यादव, रि0का0 आनंद मिश्रा, रि0का0 अजीत गौड़ तथा रि0का0 अर्पित दूबे, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।

थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़

☐ जानलेवा फावड़ा प्रहार करने वाला वांछित अभियुक्त गम्भीरपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार

☐ घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद, त्वरित कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को भेजा गया न्यायालय

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ. अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में **सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर** के कुशल पर्यवेक्षण तथा **थानाध्यक्ष अमित कुमार त्रिपाठी** के नेतृत्व में थाना गम्भीरपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा जान से मारने की नियत से फावड़े से हमला करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त फावड़ा बरामद किया गया।

घटना का विवरण

दिनांक **06.07.2026** को वादी **हरिलाल पुत्र पल्टू बनवासी**, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि दिनांक **05.07.2026** की रात्रि लगभग **12:00 बजे** पुरानी रंजिश के कारण गांव के ही **सुनील पुत्र फिरतू** ने उनके पुत्र **फूलचन्द** के सिर पर फावड़े से

जानलेवा हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई। विरोध करने पर अभियुक्त ने गाली-गलौज, मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी भी दी।
प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर **मु0अ0सं0 167/2026**, धारा **115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनांक **07.07.2026** को उ0नि0 **संजय कुमार सिंह** मय हमराह पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर वांछित अभियुक्त **सुनील बनवासी** को **चिवटही मोड़ स्थित हनुमान मंदिर के पास** से समय करीब **11:10 बजे** गिरफ्तार किया गया। पूछताछ एवं अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **एक अदद फावड़ा** भी बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1. **सुनील बनवासी** पुत्र फिरतू, निवासी ग्राम सद्दोपट्टी, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी

- 01 अदद फावड़ा (घटना में प्रयुक्त)

पंजीकृत अभियोग

- **मु0अ0सं0 167/2026**, धारा **115(2), 352, 351(3), 109(1) बीएनएस**, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 संजय कुमार सिंह, कां0 उत्तम गौड़, रि0कां0 अंकित एवं रि0कां0 शुभम शर्मा, थाना गम्भीरपुर, जनपद आजमगढ़ का इस कार्रवाई में सराहनीय योगदान रहा।

थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़

□ साइबर थाना/साइबर टीम की प्रभावी कार्रवाई, साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के ₹30,000 सकुशल वापस कराए गए

□ एनसीआरपी पोर्टल एवं न्यायालय के आदेश के माध्यम से बैंक खाते में होल्ड कराई गई धनराशि पीड़ित को कराई गई वापस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में जनपद में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों की धनराशि वापस कराने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना निजामाबाद पुलिस की साइबर टीम को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए साइबर फ्रॉड के शिकार व्यक्ति के **₹30,000** उसके बैंक खाते में वापस कराए गए।

घटना का विवरण

दिनांक **05.02.2026** को आवेदक **अमन बरनवाल** पुत्र अनिरुद्ध बरनवाल, निवासी ग्राम त्रिमुहानी, थाना निजामाबाद, जनपद आजमगढ़ ने बताया कि वह अपने **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI)** के खाते से अपने छोटे भाई के खाते में **YONO SBI** के माध्यम से धनराशि प्रेषित कर रहे थे। पहले परीक्षण हेतु ₹1 भेजा गया तथा उसके बाद ₹30,000 भेजे गए। बाद में जानकारी हुई कि **IFSC कोड बदल जाने के कारण** उक्त धनराशि किसी अन्य बैंक खाते में स्थानांतरित हो गई।

घटना के संबंध में आवेदक द्वारा तत्काल **साइबर हेल्पलाइन 1930** के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई गई, जिस पर **शिकायत संख्या-33102260027584** पंजीकृत हुई।

शिकायत प्राप्त होने के उपरांत **एनसीआरपी (NCRP) पोर्टल** के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए फ्रॉड की गई **₹30,000** की धनराशि को **बैंक ऑफ बड़ौदा, ग्रेटर मुंबई, महाराष्ट्र** स्थित संबंधित खाते में होल्ड कराया गया। इसके उपरांत न्यायालय के आदेश के माध्यम से आवश्यक विधिक प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए दिनांक **02.07.2026** को आवेदक के बैंक खाते में **₹30,000** की संपूर्ण धनराशि वापस करा दी गई।

धनराशि वापस मिलने पर आवेदक ने आजमगढ़ पुलिस एवं साइबर टीम के प्रति आभार व्यक्त किया।

बरामदगी / धनराशि वापसी

- साइबर फ्रॉड की **₹30,000** की धनराशि पीड़ित के बैंक खाते में वापस कराई गई।

सराहनीय कार्य करने वाली साइबर टीम

इस सराहनीय कार्य में थाना निजामाबाद की साइबर टीम के **उ0नि0 दिलीप आनन्द, का0 राकेश यादव, का0 संदेश सिंह एवं म0आ0 रेनू देवी** का विशेष योगदान रहा।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़

□ खानपुर चितरावल में दो पक्षों के बीच प्राणघातक मारपीट के मामले में फूलपुर पुलिस की त्वरित कार्रवाई, 14 अभियुक्त/अभियुक्ताओं को किया गिरफ्तार

□ घटना में प्रयुक्त 04 लकड़ी के डण्डे एवं 01 लोहे की रॉड बरामद, सभी अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ **डॉ. अनिल कुमार** के निर्देशन में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी एवं अपराध नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के क्रम में **अपर पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण)** के पर्यवेक्षण, **क्षेत्राधिकारी फूलपुर** के निर्देशन तथा **प्रभारी निरीक्षक देवेन्द्र प्रताप सिंह** के नेतृत्व में थाना फूलपुर पुलिस को महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस टीम द्वारा मारपीट एवं प्राणघातक हमले के मामले में दोनों पक्षों के कुल **14 अभियुक्त/अभियुक्ताओं** को गिरफ्तार कर घटना में प्रयुक्त **04 लकड़ी के डण्डे एवं 01 लोहे की रॉड** बरामद की गई।

घटना का विवरण

दिनांक **05.07.2026** को ग्राम **खानपुर चितरावल** में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जो देखते ही देखते हिंसक संघर्ष में बदल गया। दोनों पक्षों द्वारा एक-दूसरे पर लाठी-डण्डों एवं लोहे की रॉड से प्राणघातक हमला किया गया, जिससे दोनों पक्षों के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के संबंध में उपनिरीक्षक **अजीज खान** की तहरीर पर थाना फूलपुर में **मु0अ0सं0 219/2026** धारा **3(5), 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गई।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी

दिनांक **06.07.2026** को वरिष्ठ उपनिरीक्षक **विजय गौड़** मय पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर दो चरणों में कार्रवाई करते हुए पहले ग्राम खानपुर चितरावल से 06 अभियुक्तों/अभियुक्ताओं को समय **13:30 बजे** तथा बाद में मुड़ियार रेलवे क्रॉसिंग के पास से शेष 08 अभियुक्तों/अभियुक्ताओं को समय **17:23 बजे** गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त **04 लकड़ी के डण्डे एवं 01 लोहे की रॉड** बरामद की गई। गिरफ्तारी के दौरान माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ताएँ

1. जियालाल पुत्र रामजी राजभर
2. बृजेश पुत्र जियालाल राजभर
3. मोहन राजभर पुत्र मिठाईलाल राजभर
4. आयुष प्रजापति पुत्र रविन्द्र प्रजापति
5. रीमा प्रजापति पत्नी प्रमोद प्रजापति
6. रेशमा पुत्री जियालाल राजभर
7. उमेश पुत्र जियालाल राजभर
8. शुभम प्रजापति पुत्र प्रमोद प्रजापति
9. सोहन राजभर पुत्र मिठाईलाल राजभर
10. राजमन पुत्र जियालाल राजभर
11. प्रमोद प्रजापति पुत्र दयाराम
12. सुमन राजभर पत्नी सोहन राजभर
13. अनरमा पत्नी मिठाईलाल राजभर
14. प्रेमा देवी पत्नी जियालाल राजभर

बरामदगी

- 04 अदद लकड़ी के डण्डे
- 01 अदद लोहे की रॉड

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान सभी अभियुक्तों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जो मारपीट में बदल गया। अभियुक्तों ने बताया कि वे अपना पक्ष माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 219/2026 धारा **3(5), 109(1), 115(2), 352, 351(3) बीएनएस**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

इस सफल कार्रवाई में वरिष्ठ उपनिरीक्षक **विजय गौड़**, उपनिरीक्षक **दयानन्द**, कांस्टेबल **राजकुमार**, कांस्टेबल **सौरभ यादव**, कांस्टेबल **अश्वनी यादव**, आरक्षी **चन्द्रमा पाल**, महिला आरक्षी **सपना तिवारी**, महिला आरक्षी **अंजू सिंह**, महिला आरक्षी **अनुरागिनी मौर्या** एवं महिला आरक्षी **शक्ति मिश्रा**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ का सराहनीय योगदान रहा।